

शोधित पानी से सिंचाई परियोजनाओं को मिलेगा जीवनदान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: बढ़ती जनसंख्या व विकास के नाम जिस तरह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। वो चिंतनीय है। देश में पानी की उपलब्धता की बात करें तो भविष्य में इसको लेकर भी संकट खड़ा हो सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक निकलने वाले बेकार पानी के शोधन से जितना पानी मिलेगा, उससे दिल्ली से 26 गुना बड़े क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकेगी। शोधित पानी के दोबारा उपयोग से तमाम क्षेत्रों में जल संकट की कमी को पूरा किया जा सकेगा।

काउंसिल आन एनर्जी, इनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) के प्रोग्राम लीड नितिन बस्सी का कहना है कि "भारत में प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति 1,486 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध है, जो इसे जल की कमी वाला देश बनाता है। ऐसे में शोधित पानी का दोबारा उपयोग बढ़ाने से ताजे जल के संसाधनों पर दबाव घटाने में मदद मिलेगी और अन्य लाभ व सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। शोधित गंदे पानी को सिर्फ सिंचाई कार्यों में उपयोग करने में ही

- 2050 तक बेकार पानी के शोधन से जितना पानी मिलेगा, उससे दिल्ली से 26 गुना बड़े क्षेत्रफल की होगी सिंचाई
- 10 राज्यों में ही गंदे पानी के शोधन और दोबारा उपयोग की नीतियां मौजूद हैं

बड़ी बाजार संभावना मौजूद हैं।"

2050 में शोधित पानी का बिक्री मूल्य होगा 1.9 अरब : भारत में अगर चुनिंदा क्षेत्रों में शोधित पानी (उपचारित अपशिष्ट जल) की बिक्री की व्यवस्था हो तो 2025 में इसका बाजार मूल्य 83 करोड़ रुपये होगा। 2050 में यह 1.9 अरब रुपये तक पहुंच जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को जारी काउंसिल आन एनर्जी, इनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) की एक अध्ययन रिपोर्ट 'रियूज आफ ट्रीटेड वेस्टवाटर इन इंडिया' में दी गई है। अनुमानित सीवरेज उत्पादन और शोधन क्षमता के आधार पर, 2050 तक देश में कुल गंदे पानी की मात्रा

- अगले 27 सालों में भारत में 35,000 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा होगी गंदे पानी की मात्रा
- मांग-आपूर्ति में मौजूद अंतर को भरने के लिए वैकल्पिक जल स्रोतों को खोजना जरूरी

35,000 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा रहने का अनुमान है। इसलिए इसके दोबारा उपयोग की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। 2050 तक शोधन से जितना पानी मिलेगा, उससे दिल्ली से 26 गुना बड़े क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकती है।

सीईईडब्ल्यू का यह अध्ययन बताता है कि सिर्फ 2021 में निकलने वाले गंदे पानी के दोबारा उपयोग में 28 मिलियन मीट्रिक टन फल-सब्जी उगाने और इससे 966 अरब रुपये राजस्व पैदा करने की क्षमता थी। इसके अलावा इसमें 1.3 मिलियन टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने और उर्वरकों का इस्तेमाल घटाते हुए

पांच करोड़ रुपये की बचत करने की क्षमता भी थी।

वैकल्पिक जल स्रोतों को खोजने की जरूरत : सीईईडब्ल्यू ने अपने विश्लेषण में केंद्रीय जल आयोग के आकलनों का उपयोग किया है, जो बताता है कि 2025 तक भारत में 15 प्रमुख नदी घाटियों में से 11 को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मांग-आपूर्ति में मौजूद अंतर को भरने के लिए वैकल्पिक जल स्रोतों को खोजना जरूरी है। सीपीसीबी के 2021 के आंकड़ों के अनुसार, भारत प्रतिदिन निकलने वाले कुल सीवरेज के 28 प्रतिशत हिस्से को शोधित कर पाता है।

10 राज्यों में ही गंदे पानी के शोधन और दोबारा उपयोग की नीतियां : सीईईडब्ल्यू के अध्ययन में पाया गया है कि भारत में अभी सिर्फ 10 राज्यों में ही गंदे पानी के शोधन और दोबारा उपयोग की नीतियां मौजूद हैं। सीईईडब्ल्यू में रिसर्च एनालिस्ट साइबा गुप्ता ने कहा, 'राज्यों की नीतियों में शोधित बेकार पानी के गुणवत्ता मानकों के प्रविधान सिर्फ

सीईईडब्ल्यू का सुझाव

सीईईडब्ल्यू के अध्ययन में यह भी सुझाव दिया गया है कि गंदे पानी को भारत के जल संसाधनों का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। इसे जल प्रबंधन की सभी नीतियों, योजनाओं तथा विनियमों में शामिल करना चाहिए। गंदे पानी के सुरक्षित डिस्चार्ज और दोबारा उपयोग दोनों के लिए जल गुणवत्ता मानकों को अच्छी तरह से परिभाषित करने की जरूरत है। इसके अलावा, गंदे पानी के दोबारा उपयोग के लिए शहरी स्थानीय निकायों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

सुरक्षित डिस्चार्ज मानकों तक ही सीमित हैं। सभी राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में गंदे पानी के सुरक्षित दोबारा उपयोग के लिए शोधन के विशेष मानकों को परिभाषित करना चाहिए।"